कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास, मप्र

क्रमांक / शिक्षा स्था. –4 / 277 / 2012–2013 / 2485 भोपाल, दिनांक 2/2/13

आदेश

म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–49 / 2008 / 20–1 दिनांक 26.4.08 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में संविलियन के प्रावधान हैं । एतद् द्वारा तालिका क्रमांक 2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक 3 तथा 4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर संविलियन की शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक 4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र	सहायक अध्यापक का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) तथा वर्तमान कार्यरत शाला का नाम	पदस्थ निकाय का नाम तथा अनापत्ति क्र. तथा दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम की अनापत्ति क. तथा दिनांक
1	2	3	4
1	श्री अरविंदसिंह कछवाह, सहायक अध्यापक **(विकलांग)** शासकीय हिन्दी कन्या प्राथमिक शाला चौक बाजार जिला बुरहानपुर	आयुक्त,नगर पालिक निगम, बुरहानपुर जिला बुरहानपुर जा.क्रमांक 656 दिनांक 21.9.2012	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धार जिला धार का जा.क. 5459 दिनांक 10.12.2012

संविलियन की शर्तें–

1 यह अनुमति तालिका क्रमांक चार में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी

2 तालिका दो में वर्णित अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापक / सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक चार में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा।

3 तालिका क्रमांक दो में वर्णित अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापक सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक चार में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।

4 तालिका क्रमांक चार में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक दो में वर्णित अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापक / सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये ,कि संविलियन आदेश के अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाये

5 तालिका क्रमांक दो में वर्णित अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापक / सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा

6 संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक दो में वर्णित अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापक / सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक–चार में वर्णित निकाय के अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापक / सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।

7 वरिष्ठ अध्यापक / अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।

8 शिक्षा कर्मियों का अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापक / सहायक अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधी निकाय / जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।

9 तालिका कमांक दो में वर्णित अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरूद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।

10 वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील कमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।

1.2.2013
(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/शिक्षा स्था./4/277/2012-13/2486 भोपाल, दिनांक 2/2/13

प्रतिलिपिः-

1 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय म.प्र.भोपाल ।

3 आयुक्त, लोक शिक्षण भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल, मध्य प्रदेश

5 कलेक्टर, जिला बुरहानपुर/धार मध्यप्रदेश ।

6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला धार /जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण जिला बुरहानपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत धार जिला धार/आयुक्त, नगर पालिका निगम, बुरहानपुरजिला बुरहानपुर(म.प्र.) अभिलेखो /उपरोक्त शर्तों की पूर्ति/पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।

8. संबंधित श्री अरविंदसिंह कछवाह,सहायक अध्यापक (विकलांग)शासकीय हिन्दी कन्या प्राथमिक शाला चौक बाजार जिला बुरहानपुर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ ।

1/2/13
अपर संचालक
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश